

Research Paper

स्वपोषित एवं सतत विकास – एक परिचय

डॉ. देशराज वर्मा

व्याख्याता, हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ (अलवर) राज.

शोध सारांश

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) या " 2030 एजेंडा" बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सर्वगत कार्रवाई का आह्वान करता है। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं। जिसमें से लक्ष्य 3 पूरी तरह से स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जो कि "समस्त आयु वर्ग के लिए स्वस्थ जीवन और आरोग्यता को बढ़ावा देना सुनिश्चित करते हैं।" एसडीजी 3 में 13 लक्ष्य शामिल हैं, जिसमें चार "कार्यान्वयन के साधन" लक्ष्यों के रूप में सूचीबद्ध हैं। अन्य चयनित लक्ष्यों में स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें सभी प्रकारों के कुपोषण की समाप्ति, सुरक्षित पेयजल तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तक सार्वभौम और निष्पक्ष पहुंच प्राप्त करना शामिल है।

परिचय :-

हमारा भविष्य का विकास, सीमित जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों की कमी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से विवश है, इसलिए समाज के आगे के विकास के लिए हमें एक सतत तरीके से विकास करना चाहिए। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती को व्यापक रूप से वैश्विक समुदाय के सामने सबसे बड़े मुद्दे के रूप में देखा जाता है। सतत विकास के लिए सक्रिय और जानकार नागरिकों की आवश्यकता होती है और जटिल और अंतःसंबंधित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में सही विकल्प बनाने में सक्षम निर्णय लेने वाले और सूचना देने वाले निर्णयकर्ता मानव समाज का सामना कर रहे हैं। रियो अर्थ समिट के एजेंडा 21 ने जोर दिया कि पर्यावरण और विकास के मुद्दों के समाधान के लिए शिक्षा सतत विकास को बढ़ावा देने और लोगों की क्षमता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में अपने 57 वें सत्र में, 2005 – 2014 की अवधि के लिए सतत विकास के लिए शिक्षा की घोषणा (2014) की घोषणा की। कैंब ने शिक्षा को पुनर्विचार और पुनर्विचार द्वारा मौजूदा शिक्षा कार्यक्रमों के पुनरुद्धार पर जोर दिया, जिसमें अधिक सिद्धांतों, ज्ञान, कौशल को शामिल किया गया।, हमारे वर्तमान और भविष्य के समाजों के लिए महत्वपूर्ण तीनों सामाजिक, पर्यावरण, और आर्थिक में से प्रत्येक में स्थिरता से संबंधित दृष्टिकोण और मूल्य। यह कल्पना की जाती है कि सतत विकास के लिए शिक्षा व्यक्तियों और समूहों, समुदायों, संगठनों और देशों की क्षमता को मजबूत और विकसित करेगी और स्थायी विकास के पक्ष में निर्णय और विकल्प देगी। 2002 के जोहान्सबर्ग पृथ्वी शिखर सम्मेलन से एक मजबूत संदेश यह था कि अनुसंधान समुदाय को उन समस्याओं के व्यावहारिक समाधान पर काम करने के लिए विकास और अन्य समुदायों के साथ जुड़ने के लिए एक बड़ी इच्छा के साथ स्थिरता की समस्याओं की पहचान करने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका को पूरा करने की आवश्यकता है। इस शिखर सम्मेलन ने जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता के लिए तथाकथित "म्भ-ठ" लक्ष्यों के संदर्भ में सतत विकास प्राथमिकताओं को परिभाषित किया।

स्वपोषित एवं सतत विकास :-

विकास एक व्यापक अभिधान है। समग्र, टिकाऊ तथा बहुपयोगी विकास को आज स्वपोषित विकास के नाम से जाना जाता है। सस्टेनेबल डेवेलोपमेंट की अवधारणा वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एण्ड डेवेलोपमेंट (ब्रु) में 1983 में प्रस्तुत की गई। इस आयोग की अवधारणा को इसके अध्यक्ष प्रो. हर्लेम ब्रन्डटलैण्ट के नाम से ब्रन्डटलैण्ट कमीशन कहा जाता है। यह कमीशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित था तथा इसकी पृष्ठभूमि में 1972 का स्टॉकहोम का सम्मेलन (न्दपजमक छंजपवद ब्दमितमदबम वद जीम भ्नउंद म्दअपतवदउमदज) था। यह कमीशन 1992 के रियो सम्मेलन का आधार बना। इस कमीशन की रिपोर्ट 1987 में 'हमारा साझा भविष्य' 'न्त ब्उउवद थ्जजनतम' नाम से प्रकाशित हुई।

स्वपोषित विकास या प्रबंधन से तात्पर्य उपलब्ध संसाधनों का बिना विपरीत प्रभाव के लम्बे समय तक उपयोग से है। संयमित तथा विवेकपूर्ण ढंग से सीमित संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए उपयोगी ढंग से उपलब्ध बनाये रखने का लक्ष्य गहरे अर्थ रखता है। हमारी आवश्यकताएँ पूरी हों, समाज का विकास हो, व्यक्ति व राष्ट्र का आर्थिक विकास हो तथा पर्यावरण को क्षति न पहुँचे। विकास इस तरह का हो कि वह सभी को लाभान्वित करे तथा किसी खास सामाजिक वर्ग या समुदाय के लिए न हो यानी की एक्विटिवेल हो। विकास का तरीका पर्यावरण तथा जैव विविधता के अनुकूल सहनीय हो। पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास की जो विधि सुझाई जाये वह इतनी महँगी न हो कि उसे कोई अपनाए ही नहीं अर्थात् वह आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक (टपंडूसम) हो। डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि का मत है कि 'स्वपोषित विकास या प्राकृतिक संसाधनों के स्वपोषित प्रबंधन का आशय है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करते हुए इस प्रकार करना कि आवश्यकताएँ वर्तमान ही नहीं अपितु अनन्तकाल तक पूर्ण होती रहें।'

स्वपोषित विकास की तुलना 'ग्रीन डेवेलोपमेंट मॉडल से की जानी चाहिये। हरित विकास भी इसी की अवधारणा है परन्तु इसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच संतुलन न होकर पर्यावरण रक्षा पर अधिक बल दिया गया है। स्वपोषित विकास की अवधारणा में सस्टेनेबल डेवेलोपमेंट को तीन सहयोगी स्वतंत्र स्तम्भों के जरिये समझा जा सकता है 1. आर्थिक विकास 2. सामाजिक विकास 3. पर्यावरणीय रक्षा। यूनेस्को के यूनिवर्सल डिवलपेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ने सांस्कृतिक विविधता को मानव के लिए उसी तरह महत्वपूर्ण माना है जैसे प्रकृति के लिए जैव विविधता।

स्वपोषित विकास के विशेषज्ञ योजनाकारों का ध्यान प्रकारान्तर से अब मूल निवासी आदिवासियों की जीवन पद्धति की ओर जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'नैचुरल रिसोर्स मॅनेज्मेंट के निम्नांकित ढाँचे बताये हैं—'

17 लक्ष्य :-

लक्ष्य 1: गरीबी की समाप्ति

लक्ष्य 2: भुखमरी से मुक्ति

लक्ष्य 3: लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता

लक्ष्य 4: गुणवत्तापरक शिक्षा

लक्ष्य 5: लैंगिक समानता

लक्ष्य 6: जल एवं स्वच्छता

लक्ष्य 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा

लक्ष्य 8: उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास

लक्ष्य 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचे का विकास

लक्ष्य 10: असमानताओं में कमी

लक्ष्य 11: संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास

लक्ष्य 12: जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद

लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई

लक्ष्य 14: जलीय जीवों की सुरक्षा (जल में जीवन)

लक्ष्य 15: थलीय जीवों की सुरक्षा (स्थलीय पारिस्थितिक में जीवन)

लक्ष्य 16: शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं

लक्ष्य 17: लक्ष्यों के लिए भागीदारी

उक्त बिन्दुओं में मनुष्य जाति के सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, पर्यावरणीय तथा राजनीतिक सरोकारों को पूर्णता तथा न्यायपूर्ण ढंग से छूने का प्रयास दिखाई देता है। सभी को पीने का साफ पानी मिले, खुले वातावरण में अच्छी ताजी प्राणवायु मिले, लैंगिक समानता, रोजगार के समान अवसर, स्वच्छ और हरित धरती, साफ-सुथरे हवादार आवास, जीवन और काम की उत्कृष्ट परिस्थितियाँ, भुखमरी का अभाव, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय, हरित औद्योगिक विकास सहित इनमें परिपोषित विकास की अवधारणा निहित है। सम्पूर्ण मानवजाति के जीवन को सुखी तथा पूर्ण बनाने वाले ये आदर्श लक्ष्य सभी को काम्य रहेंगे। एसडीजी 3 सब आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ और आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है।

लक्ष्य :-

3.1 वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु दर को प्रति 100,000 जीवित जन्मों में 70 से कम तक लाना।

3.2 वर्ष 2030 तक नवजात शिशुओं और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की रोके जा सकने वाली मृत्यु को समाप्त करना है। समस्त देशों का लक्ष्य नवजात मृत्यु दर को प्रति 1,000 जीवित जन्म पर कम से कम 12 तक लाना और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल मृत्यु दर को प्रति 1,000 जीवित जन्म पर कम से कम 25 तक लाना है।

3.3 वर्ष 2030 तक एड्स, क्षय रोग (तपेदिक / टीबी), मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारियों को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल जनित रोगों और अन्य संक्रामक रोगों का सामना करना।

3.4 वर्ष 2030 तक रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर-संक्रामक रोगों से समय पूर्व होने वाली मृत्यु दर को एक तिहाई करना तथा मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्यता को प्रोत्साहित करना।

3.5 मादक औषधि दुरुपयोग और अल्कोहल के हानिकारक उपयोग सहित मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम और उपचार को सुदृढ़ बनाना।

3.6 2020 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मृत्यु और आकस्मिक चोटों को आधा करना।

3.7 वर्ष 2030 तक परिवार नियोजन, सूचना और शिक्षा सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सर्वगत (सार्वभौमिक) पहुंच सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य का एकीकरण करना।

3.8 सबके लिए वित्तीय जोखिम के खिलाफ संरक्षण, गुणवत्तापरक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच तथा सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवश्यक दवाओं तथा टीकों तक पहुंच सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना।

3.9 वर्ष 2030 तक खतरनाक रसायनों और वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण तथा संदूषण से होने वाले रोगों और उनसे होने वाली मौतों को उल्लेखनीय रूप से कम करना।

कार्यान्वयन के साधन” लक्ष्य :-

3. क. सभी देशों में जैसा उपयुक्त लगे, तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) रूपरेखा समझौते के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना।

3. ख. मुख्य रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के लिए टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास में सहायता प्रदान करना, ट्रिप्स समझौते (बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता) और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा के अनुसार किफायती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच प्रदान करना, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लचीलेपन के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के प्रावधानों का पूरा उपयोग करने के विकासशील देशों के अधिकार की पुष्टि करता है तथा विशेषकर सबके लिए दवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

3.ग. विकासशील देशों, विशेषकर कम विकसित देशों (एलडीसी) और छोटे द्वीपों वाले कम विकसित राज्यों (एसआईडीएस) में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्त पोषण और स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मियों की भर्ती, विकास और अवधारण में पर्याप्त वृद्धि करना।

3.घ. समस्त देशों, विशेषकर विकासशील देशों में अग्रिम चेतावनी और जोखिम कम करने की क्षमता को अधिक मज़बूत बनाना तथा राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ जोखिमों का प्रबंधन करना।

एसडीजी 3 से चयनित स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य :-

लक्ष्य 2.2: वर्ष 2030 तक कुपोषण के समस्त रूपों को समाप्त करना, जिसमें वर्ष 2025 तक, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग (सामान्य भाषा में नाटापन और दुबलापन) को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति वाले लक्ष्यों की प्राप्ति, सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना तथा किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बुजुर्गों की पोषण संबंधी ज़रूरतों पर उचित ध्यान देना। स्टंटिंग का मतलब होता है- उम्र के हिसाब से कद में कमी और वेस्टिंग का मतलब होता है- कद के हिसाब से वजन में कमी।

लक्ष्य 6.1: वर्ष 2030 तक सबके लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल सर्वत्र और समान रूप से सुलभ कराना।

लक्ष्य 6.2: वर्ष 2030 तक सबके लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता एवं साफ-सफाई सुविधाएं सुलभ कराना और खुले में शौच जाना बंद कराना। इसमें महिलाओं और लड़कियों तथा लाचारी की हालत में जीते लोगों की ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

लक्ष्य 7.1: वर्ष 2030 तक हर किसी को सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाएं सुलभ कराना।

लक्ष्य 11.6: वर्ष 2030 तक शहरों के प्रतिकूल प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, जिसमें वायु गुणवत्ता और नगरपालिका तथा अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना शामिल है।

लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु से जुड़े खतरों और प्राकृतिक आपदाओं को सहने तथा उनके अनुरूप ढलने की क्षमता को मज़बूत करना।

लक्ष्य 16.1: हर जगह हिंसा के सभी रूपों और संबंधित मृत्यु दर को महत्वपूर्ण रूप से कम करना।

लक्ष्य 17.19: वर्ष 2030 तक सतत विकास के बारे में प्रगति के ऐसे पैमाने विकसित करने के लिए मौजूदा प्रयासों को आगे बढ़ाना, जो कि सकल घरेलू उत्पाद के पूरक हों और विकासशील देशों में सांख्यिकीय क्षमता निर्माण को समर्थन दें।

महान् वैज्ञानिक आइन्सटीन ने कहा था कि कभी तीसरा विश्वयुद्ध जल के मुद्दे को लेकर होगा। आज यह आशंका सही साबित हो रही है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक विश्व के पिछड़े, विकासशील व अधिक जनसंख्या वाले अनेक देशों में पानी की भारी कमी हो जायेगी। इन देशों को पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक एवं ढाँचागत सुविधाएँ तैयार करनी होंगी। पानी के विवाद को लेकर कई देशों में हड़ताल, आन्दोलन तथा मुकदमें हो रहे हैं। बेतरतीब औद्योगिक विकास तथा अनियंत्रित शहरीकरण की मानवीय गतिविधियों से स्वच्छ जल के स्रोत जैसे नदी, झीलें, तालाब तथा समुद्र प्रदूषित होते जा रहे हैं। प्रदूषण के कारण खुले स्रोतों के अतिरिक्त भूमिगत जल भी प्रदूषित होने लगा है। यदि पानी का सम्पोषित उपयोग न किया जाये तो नदियों, तालाबों और भूमिगत स्रोतों में जल नवीकृत – पुनर्भरण जल के अत्यधिक दोहन करने तथा जलस्रोतों के पुनर्भरण के रास्ते रोकने से इसके स्रोत ही समाप्त हो जायेंगे। बड़े कारखानों में पानी का अंधाधुंध दोहन होने से वह पाताल में चला गया है। बड़े शहरों के बहुमंजिला इमारतों में सैकड़ों लोगों की प्रतिव्यक्ति खपत औसत खपत से गई गुना अधिक है। व्यर्थ बहते वर्षा जल के साथ शहर की गंदगी से नाले, सीवरेज अवरुद्ध होते हैं तथा बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। पानी अवरोध से हैजा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कन्जकवाइटिस जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। पॉलीथीन तथा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण साफ जल की उपलब्धता पर खतरा मंडरा रहा है। मानव निर्मित झीलों में मलवाहक, कारखानों, होटलों पशुबाड़ों, व्यर्थ खाद्य सामग्री, साबुन, धोने की गंदगी, धार्मिक स्थानों का अपशिष्ट, कीटनाशक रसायन, पेस्टीसाइड्स आदि प्रदूषण के कारण बनते हैं। गंगातट पर बसे लगभग एक लाख की आबादी से अधिक वाले लगभग तीस शहरों का सीवरेज मलवाहक तथा अपशिष्ट गंगा में गिरता

है। गंगातट पर कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना जैसे औद्योगिक शहरों की गन्दगी गंगा में समाती है। कानपुर के चमड़ा कारखानों का अपशिष्ट भी गंगा में ही गिरता है। यमुना का भी यही हाल है। मैली गंगा की सफाई के लिए 'गंगा एक्शन प्लान', घाटों के विकास, अस्थि तथा शवों के निस्तारण के सवाल खतरनाक हैं।

तापीय प्रदूषण के साथ समुद्री प्रदूषण की समस्या भी भयावह है। खाड़ी, बंदरगाह, तटीय शहरों के अप्राकृतिक अपशिष्ट, नदियों का प्रदूषण, जहाजों-नौकाओं के तेल फैलाव, रासायनिक टैंकर, जलपोर्तों का धुँआ, यात्री जहाज तथा बेलास्ट जल मापोल आदि के सन्दर्भ विचारणीय हैं। नदी तथा समुद्र जल स्रोतों में डाक्फिन, ह्वेल जैसी मछली मरने लगी हैं। प्रदूषित जल से कछुए की प्रजाति खतरे में है।

औद्योगिकीकरण, यातायात परिवहन तथा कारखानों की चिमनियों की धुँआ से वायुमण्डल में क्लोरोफ्लोरो, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, पेट्रोल-डीजल चलित वाहनों का परिवर्तित धुँआ आदि से हवा दूषित हो गई है। साँस लेने में कठिनाई आने लगी है। विभिन्न रोग होने लगे हैं। दिल्ली में साँस लेने में दिक्कत आने लगी है। प्रकारान्तर से मृत पशुओं को खाकर पारिस्थितिकी संतुलन के वाहक गिद्धों के दर्शन ही दुर्लभ होने लगे हैं। बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त दवाओं के साइड इफेक्ट से गिद्ध प्रजाति ही लुप्तप्रायः हो गई है। प्रकारान्तर से पारिस्थितिकी तंत्र गडबड़ाने से खाद्य श्रृंखला बदलने लगी है। अतिदोहन आधारित औद्योगिक बस्तियों के तनाव- दबाव तथा बीमार जीवन शैली आदि के आयामों ने विनाश के द्वार खोल दिए हैं।

उपसंहार :-

इस तरह सतत एवं स्वपोषी विकास के मॉडल में अब ग्रीन मेडिकल साइंस, ठोस कचरा प्रबंधन, सौर ऊर्जा, आदिवासी पर्यटन, आदिवासी रहेंगे तो जंगल रहेंगे, ग्रीन केमेस्ट्री, एथिनो बॉटनी (लोक वनस्पति शास्त्र), जीरो पोल्यूशन, प्लास्टिक बैन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की पड़ताल आदि की अवधारणा एवं आवश्यकताएँ मुखर होने लगी हैं।

सन्दर्भ:-

1. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जैविकी- डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, पृ० 25.9 (कॉलेज बुक हाउस) पृ० 25.8
2. वही,,
3. भ्रमंतजनिसदमे ज्तनेज के भ्रम्ड डक्न्सै से साभार